दिनांक–30.04.2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्री आनन्द शर्मा, निदेशक
   (2) श्रीमती प्रीति तोंगरिया, विशेष सचिव
   (3) श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव
   (4) श्री गोपाल शरण, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (5) श्री आशुतोष कुमार, Project Lead

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा:–

(क) पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार के 38 जिलों में कुल 282 पंचायतों में भूमि अप्राप्त है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु इस माह तक निश्चित रूप से भूमि चयन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी बिहार के 26 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ग) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित समस्याग्रस्त भूमि के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल क्रमशः 162 एवं 216 ग्राम पंचायतों की भूमि समस्याग्रस्त है। जिनमें सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, पूर्णियां, सिवान, कटिहार, सारण एवं पटना को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् प्रत्येक सप्ताह स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं संवेदकों के साथ बैठक कर भूमि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि फेज–1 में जिला मधेपुरा एवं सारण का एवं फेज–2 में समस्तीपुर, सिवान, सुपौल, नालन्दा, नवादा एवं बक्सर का Installation against Work Order का प्रतिशत काफी कम है इन सभी जिलों को निदेश दिया गया है कि Installation against Work Order में तेजी लाना सुनिश्चित करें। फेज–1 एवं 2 में निर्गत कार्यादेश के अनुसार जो सोलर लाईट अधिष्ठापित नहीं हुआ है, उसे फेज–3 में स्थानांतरित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

उक्त जिलों को निदेशित किया गया कि जो एजेंसी समय पर कार्य नहीं कर रही है, उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

9/5

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/5993**/पं०रा०   पटना, दिनांक** 09/5/**2025**

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

लगातार............

ज्ञापांकः—9प० / प्र०—08—802(खण्ड) / 2016 / 5993 / पं०रा० पटना, दिनांक 09/5/2025

प्रतिलिपिः— सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव के आशुलिपिक / निदेशक के आशुलिपिक / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/25

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः—9प० / प्र०—08—802(खण्ड) / 2016 / 5993 / पं०रा० पटना, दिनांक 09/5/2025

प्रतिलिपिः—श्रीमती रंजना कुमारी, आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई—मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव